अधिष्ठाता कार्यालय
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495001
FAX (O) -07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030,
Website: www.cimsbilaspur.in email- deancims@gmail.com

क्र.3788/स्था.प्रशा./सिम्स/बिलासपुर/20 बिलासपुर, दिनांक 25/03/2020

//आदेश//

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर में आई.सी.टी.सी सेंटर में परामर्शदाता/काउंसलर, परामर्शदाता, एवं लैब टेक्नीशियन के उपलब्ध रिक्त पदों के संविदा से भरे जाने वाले पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में चयन समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को निश्चित समेकित वेतन प्रतिमाह के तहत आई.सी.टी.सी. सेंटर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में तैयार किए गए मेरिट सूची अनुसार उक्त पद पर प्रतिक्षा सूची से नियमित/तदर्थ नियुक्ति होने या पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

क	नाम / पिता या पति का नाम	संवर्ग	पदनाम	समेकित वेतन
01	श्री हरेश कुमार ध्रुव / श्री चैन सिंह ध्रुव	अ.ज.जा.	परामर्शदाता/काउंसलर	13000/–
02	श्री संजय कुमार पैंकरा/ श्री लीलाराम	अ.ज.जा.	लैब टेक्नीशियन	13000/–

संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

01. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ–09–01/2012/01–13 दिनांक 31.12.2012 के संविदा नियुक्ति नियम के तहत शासित होंगे।
02. उक्त संविदा नियुक्ति किसी भी समय किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसकी एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह के वतन जमा किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
03. उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों को अपने स्वास्थ्य की उपयुक्तता के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर अथवा समयावधि के पश्चात् चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
04. उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक 15 दिवस के भीतर संबंधित संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अथवा आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेगे।
05. संविदा नियम 2012 के बिन्दु 15 (05) अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजित सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बिमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा कि कर्मचारी द्वारा किसी योजना का वरण किया गया है।
06. चयनित उम्मीदवार को पूर्व में कार्यरत संस्था से कार्यमुक्त होने का प्रमाण पत्र पदभार ग्रहण करने के समय संस्था प्रधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. पदभार ग्रहण हेतु अर्हता संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियॉ दो प्रति में नये फोटोग्राफ जमा किया जाना अनिवार्य है। अर्हता उपयुक्त होने पर ही संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।
08. आपके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत जानकारी पाए जाने पर आपकी संविदा सेवा उक्त तिथि से बिना सूचना के स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
09. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरे कैलेण्डर वर्ष में 15 दिनों के आकस्मिक अवकाश 03 दिनों के एच्छिक अवकाश का पात्र होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति देने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की गणना पूर्ण माह के लिये अनुपातिक आधार पर की जावेगी।

25/03/2020

अधिष्ठाता
छत्तीसयगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान
बिलासपुर, छ.ग.

3489-99

क्रमांक / / स्था.प्रशा. / सिम्स / बिलासपुर / 20 दिनांक 25/03/2020

प्रतिलिपिः--

01. सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सादर सुचनार्थ।
02. संचालक चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर, संभाग बिलासपुर की ओर सादर सुचनार्थ।
04. आई.सी.टी.सी. सेंटर एन.आर.एच.एम. छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
05. चिकित्सा अधीक्षक सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
06. नोडल अधिकारी आई.सी.टी.सी. सेंटर बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
07. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी, सिम्स चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
08. कार्यालयीन लेखा शाखा सिम्स सुचनार्थ प्रेषित।
09. संबंधित श्री संजय कुमार पैंकरा, पिता– श्री लीलाराम ,पता एकता ब्लड बैंक, मगरपारा, बिलासपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. संबंधित श्री हरेश कुमार ध्रुव, पिता– श्री चैन सिंह ध्रुव, पता–पीएस.टी बालक छात्रावास, पेंशनबाड़ा, रायपुर की ओर सुचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. कार्यालयीन प्रति।

अधिष्ठाता
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान
बिलासपुर, छ.ग.